अध्याय III: ऊर्जा मंत्रालय

एनएचपीसी लिमिटेड

3.1 संविदाकार को अनुचित लाभ

एनएचपीसी ने न्यूनतम गारंटी उत्पादन से कम सौर ऊर्जा के मासिक उत्पादन के लिए संविदाकार पर ₹11.61 करोड की शास्ति नहीं लगाई।

एनएचपीसी ने तमिलनाडु में 50 मेगावाट (25 x 2 इकाइयों) सोलर पावर पीवी ग्रिड से जुडी परियोजना के लिए अभियांत्रिकी संविदा देने की तिथि से नौ महीने की पूर्णता अवधि के साथ ₹287.48 करोड़ की कीमत पर एलएंडटी लिमिटेड (संविदाकार) को, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) की संविदा दी (14 जून 2017)।

संविदा की शर्तें यह निर्धारित करती थी कि निष्पादन गारंटी परीक्षण संयंत्रों के सफलतापूर्वक चालू होने की तिथि से 30 दिनों के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। संविदाकार निष्पादन गारंटी परीक्षण अवधि के दौरान 105.96 एमयू[1] विद्युत की न्यूनतम गारंटी उत्पादन (एमजीजी) के लिए सहमत हो गया। यदि संयंत्र इंटरकनेक्शन पॉइंट पर निष्पादन गारंटी परीक्षण अवधि के दौरान गणना 'आधार उत्पादन'[2] प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो एक वर्ष के निष्पादन गारंटी परीक्षण के दौरान मासिक कमी के योज को वार्षिक कमी माना जाएगा जिस पर शास्ति लगाई जाएगी और संविदाकार उत्पादन में कमी की ₹49 प्रति इकाई की दर पर नियोक्ता को शास्ति की क्षतिपूर्ति करेगा।

सोलर संयंत्र की प्रत्येक 25 मेगावाट की दोनों इकाइयां क्रमशः फरवरी 2018 और मार्च 2018 में शुरू की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वास्तविक निष्पादन गारंटी परीक्षण 15 दिसंबर 2018 से 14 दिसंबर 2019 तक किया गया था और संविदाकार द्वारा गारंटी के अनुसार संबंधित महीनों के लिए न्यूनतम गारंटी उत्पादन की तुलना में, पांच महीने[3] में विद्युत उत्पादन 2.37 एमयू से कम था, जिसके प्रति संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकार पर ₹11.61 करोड़[4] की शास्ति लगाई जानी थी। हालांकि, एनएचपीसी ने उत्पादन में मासिक कमी के लिए

---

1 *प्रत्येक माह के लिए निर्दिष्ट विकिरण और उसके प्रति उद्धत विद्युत उत्पादन के आधार पर परिकलित*

2 *महीने के लिए आधार उत्पादन की गणना जिसमें महीने के लिए कैलिब्रेटेड पायरानोमीटर द्वारा मापित वास्तविक औसत वैश्विक सौर विकिरण को ध्यान में रखते हुए कारक के साथ तकनीकी डेटा प्रारूपों में बोलीदाता द्वारा उद्धत महीनेवार उत्पादन को सही करके की जाती है।*

3 *दिसम्बर 2018, जनवरी, अप्रैल, नवंबर और दिसम्बर 2019*

4 *उत्पादन में मासिक कमी X शास्ति प्रति यूनिट (2.37 एमयू x ₹49 प्रति यूनिट)*

संविदाकार पर कोई जुर्माना नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹11.61 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

एनएचपीसी/ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2020/अप्रैल 2021) कि निष्पादन गारंटी परीक्षण संचालन एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, निष्पादन गारंटी परीक्षण न्यूनतम गारंटी उत्पादन से 0.64 *प्रतिशत* अधिक के साथ पूरा किया गया था और इस प्रकार एनएचपीसी द्वारा कोई शास्ति नहीं लगाई जाती है या शास्ति लगाया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जा सकता है कि संविदा शर्त के अनुपालन में, संविदाकार ने बोली में महीने वार न्यूनतम गारंटी उत्पादन प्रस्तुत किया। तदनुसार, विद्युत उत्पादन की मासिक कमी पर शास्ति लगाई जानी चाहिए थी। इस प्रकार, न्यूनतम गारंटी उत्पादन से कम विद्युत उत्पादन के लिए ₹11.61 करोड़ की शास्ति न लगाने से संविदाकार को अनुचित लाभ हुआ है।

सिफारिश संख्या 6

न्यूनतम गारंटी उत्पादन से कम विद्युत उत्पादन के लिए ₹11.61 करोड़ की शास्ति लगाई जा सकती है और संविदाकार से वसूली की जा सकती है।